राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस नोट

(भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक अर्हता) दिनांक 03.08.2023

संबंधित सेवा नियमों के प्रकाश में आयोग द्वारा जारी भर्ती विज्ञप्ति में शैक्षणिक अर्हता के संबंध में निम्न प्रावधान का उल्लेख किया जाता हैः–

''पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।''

वर्तमान में आयोग द्वारा जारी व्याख्याता स्कूल शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा, 2022 की काउंसलिंग आयोजित की जा रही हैं, जिसमें कतिपय अभ्यर्थी विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक वांछित योग्यता धारित नहीं किए जाने पर आयोग द्वारा अपात्र किए जाने पर माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर अन्तरिम आदेश के आधार पर काउंसलिंग में अस्थाई (Provisional) रूप से सम्मिलित हो रहें हैं।

इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने M.A.Murthy V/s State of Karnataka & Ors [(2003) 7 SCC 517] में तथा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने डी.बी.सिविल स्पेशल अपील संख्या 227/21 रमेश चन्द मीणा बनाम राज्य के प्रकरण में दिनांक 18.01.2022 को पारित आदेश में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा भर्ती हेतु वांछित शैक्षणिक योग्यता निर्धारित दिनांक तक अर्जित कर ली जानी चाहिए।

अतः समस्त अभ्यर्थियों की जानकारी हेतु यह स्पष्ट किया जाता है कि विस्तृत आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 18.01.2022 एवं भर्ती की विज्ञप्ति में उल्लेखित प्रावधानों का ध्यान रखा जावे।

उक्त विज्ञप्ति अभ्यर्थियों के हित में सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है।

रामनिवास मेहता
(सचिव)